न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 235 / 2016

उनवान

1. नन्दा पुत्र भागु माली निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. भैरू पुत्र भागु माली निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. प्रभू पुत्र हरजी जंगलिया निवासी मालीखेडा उर्फ राजपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

वादी / रेस्पोडेण्ट

2. हेमराज पुत्र नारायण जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण
संख्या 137 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2016

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री देईलाल रणवा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ए आर पठान ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.8.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजी ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा के खाता संख्या 129 में आराजी नम्बर 566/135 रकबा 3 बीघा स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी की आराजियात पर नाजायज अतिक्रमण कब्जा कर लिया, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी के साथ लडाई झगडा किया । जिस पर वादी ने पत्थरगढी किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर प्रकरण संख्या 292/2014 है जिसका निर्णय दिनांक 20.5.2014 को होने पर दिनांक 26.6.2014 को गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जरीब चलाकर पत्थरगढी की गई तब वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी की उक्त आराजी नम्बर 566/135 रकबा 3 बीघा में से 04 बिस्वा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने 01 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा मौके पर मौका पर्चा बनाया गया एवं पटवारी हल्का/गिरदावर द्वारा वादी को यह हिदायत दी गई कि नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करवाकर कब्जा प्राप्त करे। इस कारण वादी को उक्त वाद पत्र पेश करने की नौबत आई है।

2. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम मालीखेडा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 566/135 रकबा 03 बीघा में से 04

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने 01 बिस्वा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। जिसका कब्जा हटाया जाकर कब्जा मन मीन प्रोफिट्स के वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में दिनांक 11.8.2016 नियत थी। अपीलार्थी ने दिनांक 11.8.2016 को अपने अधिवक्ता से पेशी पर आकर सम्पर्क किय तो कोई पत्रावली नहीं होने की जानकारी मिली । जिस पर जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । नकल दिनांक 22.8.2016 को प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई । तब अपीलार्थी ने अविलम्ब अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.8.2016 को कॉस्ट पर जवाब हेतु नियत था। नियत तारीख से पूर्व ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कैम्प में रख दिया गया । जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई। जिससे अपीलार्थी दिनांक 11.8.2016 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुने बिना ही कानून को ताक में रखकर मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वास्तविकता इस प्रकार है कि अपीलार्थी व अन्य खातेदारों की आराजी में आने जाने का रास्ता विवादग्रस्त आराजी में है। जिसके संबंध में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। मात्र परेशान करने करने व अपीलाण्ट की भूमि को हडप करने की नियत से उक्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर राजस्व पटवारी से मिलाभगती कर गलत मौका पर्चा बनावा कर वाद पत्र पेश किया है। जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में निस्तारित किया गया है। जबकि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि माननीय सुप्रिम कोर्ट के प्रतिपादित निर्णय स्टेट ऑफ पंजाब बनाम जालोर सिंह में पक्षकार की सहमति के बिना लोक अदालत में प्रकरण के निस्तारण को शून्य माना है। अपीलाधीन निर्णय भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्व लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण सख्या 1 व 2 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया था। जिस पर 200/–रूपये की कॉस्ट पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत स्वीकार कर प्रकरण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.4.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण को नियत किया गया था । उसके बावजूद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी की ओर से बयान कराये गये एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित कराये गये थे। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात राजस्व रेकार्ड के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात, राजस्व रेकार्ड, का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थीगण का निवेदन है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण को नियत तिथि से पूर्व राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखने बाबत कोई सूचना पत्र की अपीलार्थीगण पर तामील नहीं कराई गई है। प्रकरण जवाब दावे में नियत था। परन्तु जवाब दावा नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाना था। उससे पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये।

14. हमनें अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 21.7.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनाक 9.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देई लाल जणवा द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 नियत की गई। नियत तारीख पेशी दिनांक 20.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जिस पर प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 15.3.2016 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया । जिसे 200 रूपये की कॉस्ट पर दिनांक 29.3.2016 को स्वीकार किया गया एवं प्रकरण को दिनांक 21.4.2016 को जवाब दावे हेतु नियत किया गया ।

15. दिनांक 21.4.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने से अंतिम अवसर 200/—रूपये की कॉस्ट पर दिया जाकर प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.8.2016 नियत की गई। दिनांक 11.8.12016 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 1.7.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा दिनांक 11.8.2016 को प्रकरण 200/—रूपये की कॉस्ट पर जवाब दावे हेतु नियत किया गया था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2/ अपीलार्थीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

16. अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 11.8.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने में नियत था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत कैम्प में दिनांक 1.7.2016 को रखा गया । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि नियत तारीख से पूर्व प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सूचना उभयपक्ष को नोटिस द्वारा दी जाती । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में लोक अदालत में प्रकरण को रखे जाने बाबत कोई तामीलसुदा सूचना पत्र संलग्न नहीं है। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.7.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर, उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित किया उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.9.19 को उपस्थित रहे। ।

18. निर्णय आज दिनांक 20.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

20/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते